

6883/98
02/11/99

रूप क्रमांक ४
(देखिये नियम १२)

मध्यप्रदेश शासन



समिति का पंजीयन प्रमाणपत्र

14247

क्रमांक

यह प्रमाणित किया जाता है कि पंजीयत समिति स्टेट बैंक अधिकारी तथा शिक्षा समिति,

ई. 7/35 अरेरा कालोनी, शोपाल स्थित है द्वारा तहसील में शोपाल

जिला में अपना नाम परिवर्तित कर लिया है और अब वह बैंक अधिकारी शिक्षा समिति

ई. 7/32, अरेरा कालोनी, II नं. स्टाप नाम से मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण के पास, शोपाल अधिनियम, १९७३ (सन् १९७३ का क्रमांक ४४) की धारा १३ की उप-धारा (२)

के अधीन पंजीयित की गई है।

दिनांक इकट्ठतात माह दिसंबर सन् १९८८



समितियों के रजिस्ट्रार
लखनऊ रजिस्ट्रार वाला विभाग
12